संख्या– / XVIII(II)/2020–18(35)/2009

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषयः– सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, श्रीकोट गंगानाली को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु कुल–0.326 है0 सःशुल्क पट्टे पर आवंटित भूमि के नजराना की धनराशि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1624/11–रीडर (2008–09, दिनांक 21 मई, 2010, पत्र संख्या–202/रीडर/2017–2018, 26 मई, 2018 तथा पत्र संख्या–509/रीडर–2018, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या–115/XVIII(II)/2009–18(35)/2009, दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, श्रीकोट गंगानाली को गवर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत कुल–0.326 है0 सःशुल्क पट्टे पर आवंटित भूमि के नजराना की धनराशि को जनभावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–115/XVIII(II)/2009–18(35)/2009, दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा तहसील श्रीनगर के ग्राम श्रीकोट गंगानाली के खसरा संख्या–123 मध्ये 0.040 है0, 124 मध्ये 0.033 है0, 127 रकबा 0.053 है0, 128 रकबा 0.050 है0, 129 रकबा 0.056 है0, 130 रकबा 0.045 है0 एवं 131 रकबा 0.040 है0 कुल 0.0326 है0 भूमि सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज श्रीकोट गंगानाली को सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की गयी थी, जिसका नजराना रू0 93,23,600/– (रूपये तिरानवे लाख तेईस हजार छः सौ मात्र) स्टाम्प शुल्क रू0 1,86,476/–(रूपये एक लाख छियासी हजार चार सौ छयत्तर मात्र) तथा रजिस्ट्रेशन एवं प्रतिलिपि शुल्क रू0 40/– कुल–रू0 95,10,116/–(रूपये पिच्चानवे लाख दस हजार एक सौ सोलह मात्र) निर्धारित है, श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)/2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII (II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ छूट प्रदान करते है, कि उक्त भूमि के नजराने की धनराशि मात्र रूपये 101/–निर्धारित की जाय हैः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

....2

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–497/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, श्रीकोट गंगानाली, पौड़ी गढ़वाल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।